रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 मई, 1997/5 ज्येष्ठ, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मई, 1997

संख्या कल्याण-ए(3)-1/88-I.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेन्शन नियम, 1989 जो कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण-ए(3)-1/88, दिनांक 29-9-1989 के द्वारा अधिसूचित हुए थे, को अधिक्रमण करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन नियम, 1997 को परिचालित करने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेन्शन नियम, 1997 कहलाएंगे।

(2) यह नियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू माने जाएंगे।

1475-राजपत्र/97-26-5-97—1,249. (1969) मूल्य : 1 रुपया।

2. **उद्देश्य.**—इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन वृद्धों, अपंगों, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं तथा कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पालन-पोषण एवं देख-रेख का कोई उचित साधन न हो ।

3. **पात्रता.**—इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वृद्ध, अपंग, विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं तथा कुष्ठ रोगी जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी होंगे, पेन्शन/भत्ता पाने के लिए पात्र माने जाएंगे ।

(1)(क)(i) **वृद्ध** : ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तथा उनके पालन पोषण/देख-रेख इत्यादि का उचित साधन न हो और न ही जिनके कमाने वाले अव्यस्क बच्चे है तथा जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 6,000/- रुपए से अधिक न हो ।

(ii) वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क लड़के कमाने वाले हों और उनकी वार्षिक आय 11,000/- रुपए से अधिक न हो तथा परिवार के सदस्यों की कुल संख्या सामान्यत: 5 हो, पेन्शन के हकदार होंगे ।

(2)(ख) **अपंग** : (i) ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी अपंगता 40% या इससे अधिक हो, जिनके पालन-पोषण तथा देख-रेख का कोई साधन न हो या जिनके बच्चे अव्यस्क तथा कमाने वाले न हो और जिनकी वार्षिक आय 6,000/- रुपए से अधिक न हो ;

(ii) अपंग पेन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क कमाने वाले लड़के हो और उनकी वार्षिक आय 11,000/- रुपए से अधिक न हो और परिवार के सदस्यों की कुल संख्या सामान्यत: 5 हो, वह पेन्शन पाने के हकदार होंगे ;

(iii) ऐसे अपंग बच्चे जिनकी अपंगता 40% या इससे अधिक हो तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक या देख-रेख करने वालों की वार्षिक आय 6,000/- रुपए से अधिक न हो ;

(iv) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अविकसित या पागल हो, जिनके पालन-पोषन/देख-रेख का कोई साधन न हो या अपनी रोजो-रोटी कमाने में असमर्थ हो एवं उनकी या उनके माता-पिता या अभिभावकों का वार्षिक आय 6,000/- रुपए से अधिक न हो ।

नोट.—ऐसे व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता/पेन्शन उनके माता-पिता या अभिभावकों (गार्डियन) के माध्यम से दिया जाएगा ।

(3)(ग) **विधवाएं/परित्यक्त महिलाएं** : (i) ऐसी विधवाएं/परित्यक्त महिलाएं जिनका कोई भी जीवन निर्वाह का साधन अथवा देख-रेख करन वाला/वाली न हो और न ही कमाने वाले अव्यस्क बच्चे हों और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से 6,000/- रुपए से अधिक न हो, विधवा पेन्शन/परित्यक्त पेन्शन पाने की पात्र होगी ;

(ii) विधवा/परित्यक्त पेन्शन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क पुत्र कमाने वाले हों और उनकी वार्षिक आय 11,000/- रुपए से अधिक न हो तथा परिवार के सदस्यों की कुल संख्या सामान्यत: 5 हो, वह पेन्शन पाने के हकदार होंगे ।

(4)(घ) **कुष्ठ रोगी** : ऐसे कुष्ठ रोगी जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हों, कुष्ठ रोगी पेन्शन/भत्ता पाने के हकदार होंग । कुष्ठ रोगी भत्ता/पेन्शन प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं होगी ।

4. **पेन्शन की दर.**—सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धों, अपंगों, विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं को 100/- रुपए प्रति माह की दर से तथा कुष्ठ रोगियों को 120/- रुपए प्रति माह की दर से या उस दर से जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, पेन्शन देय होगी।

नोट.— (i) वृद्धों को दी जाने वाली पेन्शन वृद्धावस्था पैन्शन, अपंगों को दी जाने वाली अपंग राहत भत्ता/पेन्शन, विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं को दी जाने वाली विधवा/परित्यक्तता पेन्शन तथा कुष्ठ रोगियों को दी जाने वाली कुष्ठ रोगी पेन्शन कहलाएगी ।

(ii) भिखारी पेन्शन पाने के हकदार नहीं होंगे । ऐसे अपराधी जिनके आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज होंगे या जिनके विरुद्ध मामले न्यायालय में चल रहे होंगे, पेन्शन के हकदार नहीं होंगे।

आदेश द्वारा,

परमिन्दर माथुर,
आयुक्त एवं सचिव।